प्रारूप – 3

भाग – 2
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

1. **परियोजना या स्कीम की अवस्थिति–**
   (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उत्तराखण्ड
   (ख) जिला देहरादून
   (ग) जिला वन प्रभाग चकराता वन प्रभाग
   (घ) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

2. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।

3. **अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा–**
   (क) वन का प्रकार आरक्षित वन भूमि 0.1395
   (ख) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व 0.1
   (ग) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना लागू नही
   (घ) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा लागू नही

4. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लागू नही

5. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी। लागू नही

6. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता। लागू नही
   (क) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा। लागू नही
   (ख) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते है (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)।
   (ग) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि0मी0 के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)। लागू नही
   (घ) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि0मी0 के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)। लागू नही
   (ड) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां है, यदि है, तो उसके ब्यौरे।

7. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दे)

8. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें–
   (क) क्या भाग–1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है, और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। लागू नही
   (ख) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। लागू नही

9. किए गए अतिकमण के ब्यौरे–
   (क) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शन सिद्धांतो के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नही)
   (ख) यदि हां, की गई कार्य अवधि अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिकमण के ब्यौरे और अतिकमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही।
   (ग) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नही) नही

10. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे–
   (क) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।

Scanned by CamScanner

(ख) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। नहीं

(ग) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है। संलग्न है

(घ) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न है (हां/नही) नहीं

(ङ) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय– [illegible] रु० 1,10000=00

(च) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचानकर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न है (हां/नही) हां

11. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नही) लागू नहीं

12. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिश्ट सिफारिशें। प्रस्तावित [illegible] [illegible] की तकनीकी एवं स्थानीय [illegible] के प्रारूप में प्रस्ताव [illegible] के स्थल पर [illegible] संयुक्त निरीक्षण [illegible] एवं प्रमाण [illegible] से प्राप्त प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों के अनुसार [illegible] [illegible] उपयुक्त [illegible] को एवं प्रमाणित [illegible] का स्थलीय निरीक्षण, किये गये [illegible] के [illegible] की जाती है। [illegible] की [illegible] हेतु प्रभागस्तर से [illegible]

दिनांक	स्थान	हस्ताक्षर	नाम	शासकीय मुद्रा
18-06-19	निर्माण शाखा पुरोड़ी	अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम नया चकराता (पुरोड़ी)		दीप चन्द्र आर्य प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग चकराता
1-7-2019 स्थान- कालसी				

Scanned by CamScanner